



संदर्भ: आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/एमआईएसपी/083/03/2023 31 मार्च, 2023 Ref: IRDA/INT/CIR/MISP/083/03/2023 31st March, 2023

प्रति/ To, मोटर बीमा व्यवसाय करनेवाले सभी साधारण बीमाकर्ता ALL GENERAL INSURERS CARRYING ON MOTOR INSURANCE BUSINESS

विषयः <u>मोटर बीमा सेवा प्रदाता को वितरण शुल्क का भुगतान</u> Re: Payment of Distribution Fees to Motor Insurance Service Provider

- 1. बीमाकर्ता द्वारा सीधे अथवा बीमा मध्यवर्ती के द्वारा, जैसी स्थिति हो, वितरण शुल्क के भुगतान के संबंध में संदर्भ सं. आईआरडीएआई/आईएनटी/जीडीएल/एमआईएसपी/202/08/2017 दिनांक 31 अगस्त 2017 के अनुसार मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी) के विषय में जारी किये गये दिशानिर्देशों के अध्याय V में पैरा 15(5) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। Attention is drawn to Para 15(5) in Chapter V of Guidelines on Motor Insurance Service Provider (MISP) vide Ref No. IRDA/INT/GDL/MISP/202/08/2017 dated 31st August, 2017 on payment of distribution fees to the MISP directly by the insurer or by the insurance intermediary as the case may be.
- 2. आईआरडीएआई (साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंध व्यय) विनियम, 2023 दिनांक 26 मार्च 2023 एवं आईआरडीएआई (कमीशन का भुगतान) विनियम, 2023 दिनांक 26 मार्च 2023 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, एमआईएसपी को देय अधिकतम वितरण शुल्क संबंधी पैरा 15(5)(ग) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः Consequent upon notification of IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance Business) Regulations, 2023 dated 26th March, 2023 and IRDAI (Payment of Commission) Regulations, 2023 dated 26th March, 2023, the Para 15 (5) (c) on the maximum distribution fees payable to MISP is replaced as under:

"एमआईएसपी को देय वितरण शुल्क बीमाकर्ता के कमीशन के भुगतान के लिए बोर्ड अनुमोदित नीति के अनुसार होगा।"

"The distribution fees payable to MISP shall be as per Board approved policy for payment of commission of the insurer."

3. एमआईएसपी को देय वितरण शुल्क से संबंधित सभी वर्तमान परिपत्रों में विद्यमान सभी उपबंध इसके द्वारा वापस लिये जाते हैं। तथापि, एमआईएसपी से संबंधित सभी अन्य संगत उपबंधों का प्रभावी होना जारी रहेगा।

The provisions in all the extant circulars relating to distribution fees payable to MISP are hereby withdrawn. However, all other relevant provisions relating to MISP shall continue to remain in effect.



4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This is issued with the approval of the competent authority.

(अनीता जोस्युला/Anita Josyula)

मुख्य महाप्रबंधक (मध्यवर्ती)/Chief General Manager (Intermedia ries)

प्रतिलिपिः महासचिव, साधारण बीमा परिषद, मुंबई

CC: The Secretary General, General Insurance Council, Mumbai